न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, छबड़ा जिला बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्वेता गुप्ता, जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध संख्या : 02/2018

प्रहलाद पुत्र हरनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0)

प्रार्थी.......

—:: बनाम ::—

सर्वसाधारण

अप्रार्थी.......

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थितः—

श्री अमर सिंह मीणा, विद्वान अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से।

—:: आदेश ::— **दिनांकः— 01.04.2019**

1. प्रार्थी ने धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के काका तुलसीराम उर्फ तुलस्या पुत्र पन्नालाल का देहान्त दिनांक 11.12.2017 को ग्राम हनुवतखेडा में हो गया जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न हैं। प्रार्थी की चल एवं अचल सम्पत्ति ग्राम हनुवतखेडा एवं कडैयाछत्री में स्थित हैं जिनकी रजिस्टर्ड वसीयत अंतिम तौर पर दिनांक 15.09.2011 में प्रार्थी के पक्ष में उप—पंजीयन कार्यालय छबड़ा में रूबरू गवाहान तस्दीक करवाई गई थी जिसमें तुलसीराम उर्फ तुलस्या की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तुलसीराम उर्फ तुलस्या का एस0बी0आई0 शाखा छबडा में खाता नंबर 51080759633 हैं जिसमें वर्तमान में 17,000/— रूपये जमा हैं लेकिन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव में बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्होने खाते में जमा 17,000/— रूपये के उपयोग—उपभोग से प्रार्थी को वंचित कर दिया हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि तुलसीराम उर्फ तुलस्या पुत्र पन्नालाल का उत्तराधिकारी

होने से भारतीय स्टेट बैंक शाखा छबडा के खाता संख्या 51080759633 में जमा राशि 17,000/– रूपये प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

2. तत्पश्चात् न्यायालय के आदेश से दिनांक 14.08.2018 को कोटा शहर के अखबार राष्ट्रदूत के जरिये सर्वसाधारण को नोटिस अखबार में भी साया करवाया गया। किन्तु इसके पश्चात् भी कोई व्यक्ति प्रार्थी के अतिरिक्त विधिक उत्तराधिकारी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ।

3. प्रार्थी की ओर से स्वयं प्रार्थी प्रहलाद ने गवाह ए.डब्ल्यू. 01 के रूप में अपने बयान लेखबद्ध कराये तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों की पुष्टि करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र तुलसीराम उर्फ तुलसी प्रदर्श–1, वसीयतनामा तुलसीराम उर्फ तुलसी प्रदर्श–2, परिचय पत्र मतदाता प्रहलाद प्रदर्श–3, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के खाते की डायरी प्रदर्श–4, अखबार साया प्रार्थना पत्र प्रदर्श–5 को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

4. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध गवाह प्रहलाद ए.डब्ल्यू. 01 ने न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उनकी ताईद की हैं। गवाह से किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई हैं जिससे इस गवाह की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं रह जाता हैं। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भी प्रार्थी की उत्तराधिकारिता के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवायी गई हैं। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से मृतक तुलसीराम उर्फ तुलस्या की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी के विधिक उत्तराधिकारी होने से प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना न्यायोचित हैं।

<u>–:: आदेश ::–</u>

6. अतः प्रार्थी प्रहलाद पुत्र हरनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज0) को प्रार्थना पत्र में वर्णित राशि 17,000/– रूपये नियमानुसार प्राप्त करने हेतु मृतक तुलसीराम उर्फ तुलस्या का उत्तराधिकारी घोषित किया

जाता हैं। न्याय शुल्क अदा होने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी किया जावें।

(श्वेता गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

7. आदेश आज दिनांक 01.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(श्वेता गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश
छबड़ा, जिला बारां (राज0)